छत्तीसगढ़ शासन
जनसम्पर्क विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला–रायपुर

अधिसूचना

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /07/2019

क्रमांक एफ 04–07/2019/चौबीस :: छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा आदेश क्रमांक–1177 एच/जसंसं/2001 के तहत छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 बनाया गया था। उक्त नियम व समय–समय पर इस पर किये संशोधनों को विलोपित करते हुए राज्य शासन अब छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2019 बनाता है।

राज्य अधिमान्यता नियम 2019

01. संक्षिप्त नाम :– यह नियम ''छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2019'' कहा जायेगा।

02. प्रारंभ एवं कार्यक्षेत्र :– ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में समाचार मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने के लिए लागू होंगे तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से पूर्ववर्ती सभी नियमों का स्थान लेंगे। ये नियम उन सभी समाचार मीडिया प्रतिनिधियों पर लागू होंगे जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ है।

03. संशोधन :– राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति अथवा आयुक्त/संचालकजनसम्पर्क आवश्यकता पड़ने पर राज्य शासन को इन नियमों में संशोधन की अनुशंसा कर सकते हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

04. परिभाषाः–विषय और सन्दर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा जो उसके सामने दर्शाया जा रहा हैः–

4.1 राज्य शासन का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ शासन।

4.2 आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय।

4.3 अधिमान्यता समिति का अर्थ है इन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता देने के प्रश्न पर परामर्श के लिए राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समिति।

4.4 ''समाचार मीडिया'' से तात्पर्य है समाचार पत्र, तार सेवा व बेतार सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजेन्सी और वे प्रतिष्ठान जो आम जनता तथा प्रशासन से सम्बन्धित विषयों पर समाचार और टिप्पणियॉ प्रकाशित/प्रसारित करते हैं।

4.5 मीडिया प्रतिनिधि का तात्पर्य है कोई भी पत्रकार/फोटोग्राफर/कैमरामेन जो किसी शासकीय /पंजीकृत अशासकीय समाचार एजेन्सी, समाचार पत्र, समाचार फोटो एजेन्सी तथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक समाचार प्रतिष्ठान (आकाशवाणी, दूरदर्शन, टी0व्ही0 समाचार चैनल, समाचार वेबपोर्टल आदि) का प्रतिनिधित्व करते हों।

4.6 समाचार पत्र की वही परिभाषा होगी जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दी गई है।

4.7 ''दैनिक समाचार पत्र'' सप्ताह में कम से कम 6 दिन या जैसा संचार अधिनियम में परिभाषित किया गया है, प्रकाशित होना चाहिये।

4.8 श्रमजीवी पत्रकार से तात्पर्य है कोई भी श्रमजीवी पत्रकार जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम 1955 में परिभाषित है।

05.अधिमान्यता समितियाँ

5.1 इन नियमों के अन्तर्गत विहित कार्यों के निष्पादन के लिए छत्तीसगढ़ शासन राज्य एवं संभाग स्तर पर अधिमान्यता समितियों का गठन करेगा।

5.2 राज्य अधिमान्यता समिति में 10 (दस) पत्रकार सदस्य होंगे और जनसम्पर्क संचालनालय के आयुक्त/संचालक सदस्य होंगे तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। इस प्रकार राज्य अधिमान्यता समिति में कुल 12 (बारह) सदस्य होंगे। 10 पत्रकार सदस्यों में 08 सदस्य प्रिन्ट मीडिया से (प्रत्येक संभाग से यथासंभव न्यूनतम एक) तथा 02 सदस्य इलेक्ट्रानिक मीडिया से होंगे। राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के पत्रकार सदस्यों को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होना अनिवार्य है।

5.2.2 राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने के अतिरिक्त मीडिया प्रतिनिधियों के कल्याण एवं हितों से जुड़े अन्य विषयों पर भी राज्य शासन को अपनी अनुशंसाएं कर सकेगी, जिन्हें स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

5.3 प्रत्येक संभागीय अधिमान्यता समिति में 09 पत्रकार सदस्य होंगे और संभागीय मुख्यालय स्थित जनसम्पर्क कार्यालय प्रमुख समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य अधिमान्यता समिति के सदस्य सचिव तथा एक राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के सदस्य संभागीय अधिमान्यता समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इस प्रकार संभागीय अधिमान्यता समिति में कुल 12 (बारह) सदस्य होंगे। पत्रकार सदस्यों में 07 सदस्य प्रिन्ट मीडिया एवं दो सदस्य इलेक्ट्रानिक मीडिया से होंगे। पत्रकार सदस्यों का हर जिले से यथासंभव एक प्रतिनिधि होना अनिवार्य होगा। (स्पष्टीकरणः संभागीय अधिमान्यता समिति हेतु राज्य अधिमान्यता समिति के सदस्यों का मनोनयन सदस्यों द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा जिसका आदेश संचालक/ आयुक्त जनसम्पर्क द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा)

5.4 अधिमान्यता समितियों का कार्यकाल गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता है।

5.5 समिति की बैठकें प्रति 3 माह में एक बार अनिवार्यतः तथा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार आयोजित की जा सकेगी।

5.6 बैठक आयोजित करने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व सदस्यों को प्राप्त हो जाना चाहिये। जरूरी होने पर आपातकालीन बैठक 24 घण्टे की पूर्व सूचना पर आयोजित की जा सकेगी।

5.7 समिति की बैठक संचालन के लिये यह आवश्यक होगा कि कम से कम 04 (चार) सदस्यों (कुल सदस्यों का एक तिहाई) का कोरम हो। कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित करने के पश्चात् यह बैठक बिना कोरम के भी की जा सकेगी परन्तु बैठक मे न्यूनतम दो पत्रकार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

5.8 अधिमान्यता समिति के पत्रकार सदस्यों को अन्य अधिमान्यता अर्हता पूर्ण करने की दशा में राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों को राज्य स्तरीय तथा संभागीय अधिमान्यता समिति के सदस्यों को जिला स्तरीय मानद अधिमान्यता की पात्रता होगी। यह मानद अधिमान्यता सम्बधित समाचार मीडिया कोटे से अलग होगी।

06 <u>अधिमान्यता की सामान्य शर्तें :–</u>

6.1 विभिन्न प्रकार के समाचार मीडिया प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के समाचार माध्यम के प्रतिनिधियों को इन दिशा निर्देशों के अनुसार तथा इन दिशा निर्देशों की अनुसूची एक में दी गई पात्रता शर्तों और अनुसूची दो व तीन में उल्लेखित कोटा सीमा के अंतर्गत ही अधिमान्यता दी जायेगी।

6.2 अधिमान्यता, समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को कोई आधिकारिक या विशेष हैसियत प्रदान नहीं करेगी अपितु यह केवल एक व्यावसायिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में उनकी पहचान को मान्यता देगी।

6.3 अधिमान्य पत्रकार अपने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड अथवा अन्य किसी लिखित सामग्री में ''छत्तीसगढ शासन से अधिमान्य पत्रकार'' अथवा अन्य किसी शब्द का प्रयोग नही करेंगे। ऐसा किया जाना अधिमान्यता की अयोग्यता माना जायेगा तथा शिकायत की जांच में शिकायत सत्य पाये जाने पर राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति सम्बन्धित समाचार प्रतिनिधि की अधिमान्यता निरस्त कर सकेगी।

6.4 समाचार मीडिया संस्थान के स्वामी/अंशधारक, प्रबंधन, विपणन अथवा समाचार माध्यम की अन्य शाखाओं के प्रतिनिधि जो समाचार संकलन/सम्पादकीय विभाग से संबंधित नहीं है, अधिमान्यता के पात्र नहीं होंगे। **(स्पष्टीकरणः समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के ऐसे स्वामी/अंशधारक जिनका नाम समाचार संपादक, प्रधान संपादक के रूप में समाचार पत्र प्रिन्ट लाईन में छपता है उन्हें अन्य अधिमान्यता शर्तों को पूरी करने की दशा में राज्य/जिला स्तरीय अधिमान्यता शर्तो की पात्रता होगी।)**

6.5 अधिमान्यता हेतु आवेदन करते समय आवेदक को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य राज्य से अधिमान्य पत्रकार नहीं है।

6.6 श्रमजीवी पत्रकार का निवास अधिमान्यता के आवेदन में उल्लेखित पदस्थापना के स्थान पर होना चाहिए।

6.7 केवल उन्हीं समाचार मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को अधिमान्यता देने पर विचार किया जायेगा जो प्रतिष्ठान कम से कम लगातार एक वर्ष से कार्य कर रहे हों। किसी समाचार पत्र/न्यूज चैनल प्रारंभ होने के बाद तात्कालिक अस्थाई व्यवस्था के तहत् समाचार पत्र के सम्पादक/न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ को समाचार पत्र/न्यूज चैनल प्रारंभ होने के 3 माह बाद अन्य अधिमान्यता शर्तों को पूरा करने की दशा में अधिकतम

एक वर्ष की राज्य/जिला स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। इस प्रकार की अधिमान्यता प्रदान करने में समाचार प्रतिष्ठान की रीति नीति को भी ध्यान में रखा जायेगा।

6.8 प्रकाशनों में प्रकाशित सामग्री का कम से कम 50 प्रतिशत समाचारों और/या जनसामान्य की रूचि की टिप्पणियों के रूप में होना चाहिये। उसमें जनसम्पर्क विभाग से जारी समाचार और सूचना निष्पक्ष रूप से शामिल होनी चाहिये।

6.9 वर्ग विशेष की रूचि की सूचना देने वाले प्रकाशन जैसे गृह पत्रिकाएं/ तकनीकी / व्यावसायिक प्रकाशन/ अपराध जगत संबंधी समाचार पत्रिका आदि अधिमान्यता के लिए पात्र नहीं है।

6.10 केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने वाले केबल संचालकों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा चलाये जा रहे प्रतिष्ठान के स्वामी/कर्मचारी प्रतिनिधि अधिमान्यता के लिये पात्र नहीं होंगे।

6.11 जिन नियमों/शर्तो परिस्थितियों के आधार पर अधिमान्यता दी गई है, उनके समाप्त हो जाने पर अधिमान्यता वापस ले ली जायेगी। यदि यह पाया गया कि अधिमान्यता का गलत प्रयोग किया गया है तो अधिमान्यता वापस ली/स्थगित की जा सकती है।

6.12 यदि यह पाया जाता है कि किसी आवेदक या मीडिया प्रतिष्ठान ने झूठी/कपटपूर्ण/ जाली सूचना/कागजात दिये हैं तो उस प्रतिनिधि/मीडिया प्रतिष्ठान की अधिमान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये राज्य अधिमान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर न्यूनतम 2 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए अधिमान्यता से वंचित किया जा सकता है।

6.13 राज्य/संभाग स्तरीय अधिमान्यता समिति को अधिकार होगा कि वह अधिमान्यता के लिए सिफारिश करे या उसे अस्वीकार करे। अधिमान्यता के सभी मामलों में राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति का निर्णय अंतिम होगा।

6.14 पत्रकार न रहने की स्थिति में अथवा संस्था से स्थानांतरित/त्यागपत्र देने की स्थिति में सम्बन्धित मीडिया अधिमान्य पत्रकार तथा सम्बन्धित संस्थान के सम्पादक दोनों की जवाबदारी होगी कि वह समाचार सम्पादक के माध्यम से 15 दिवस के भीतर अपना अधिमान्यता कार्ड जनसम्पर्क संचालनालय में वापस जमा कराये। अधिमान्यता कार्ड वापस नहीं करने की स्थिति में समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के

लिये आवंटित अधिमान्यता कोटा अधिमान्यता कार्ड की वैद्यता अवधि तक पूर्ण माना जायेगा तथा सम्बन्धित मीडिया प्रतिष्ठान के नवीन अधिमान्यता आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित मीडिया प्रतिनिधि को किसी भी अन्य समाचार संस्थान की उस वर्ष की अधिमान्यता से वंचित रखा जायेगा।

6.15 अधिमान्यता एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। आगामी वर्ष हेतु अधिमान्यता नवीनीकरण का कार्य माह दिसम्बर में किया जाएगा। 30 जनवरी तक निर्धारित प्रपत्र में नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत नही करने की दशा में पुनः नवीन अधिमान्यता हेतु आवेदन करना होगा।

6.16 अधिमान्यता नवीनीकरण कराने हेतु समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के संपादक की अनुशंसा अनिवार्य होगी। ब्यूरो प्रमुख की दशा में नवीनतम वेतन पर्ची संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

6.17 अधिमान्यता के लिए समाचार मीडिया प्रतिष्ठान प्रतिनिधि को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र में समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के सम्पादक/ब्यूरो प्रमुख की स्पष्ट अनुशंसा अंकित होनी चाहिये।

6.18 अधिमान्यता के लिये आवेदक पत्रकार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पर न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल होने पर/पूर्व से न्यायालय से दंडित होने की स्थिति में अधिमान्यता की पात्रता नहीं होगी।

6.19 अधिमान्यता हेतु सम्बन्धित समाचार माध्यम का रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया (आर0एन0आई0)/सूचना एवं प्रसारण विभाग भारत सरकार में पंजीयन अनिवार्य होगा।

6.20 ऐसे समाचार मीडिया प्रतिष्ठान जो अपने समाचार प्रतिनिधियों को नियमित वेतन– भत्ते भुगतान में असमर्थ होते हैं (Defaulter) ऐसी शिकायत की जांच के उपरान्त शिकायत सत्य पाए जाने पर अधिमान्यता हेतु अपात्र होंगे।

07 राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता :–

7.1 राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क को प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2 जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता के लिये सम्बंधित जिला जनसम्पर्क कार्यालय के प्रभारी के माध्यम से संभागीय जनसंपर्क कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7.3 राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिये प्राप्त आवेदन पत्र राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति तथा जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता के आवेदन पत्र जिला जनसम्पर्क कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित संभागीय अधिमान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

7.4 तीनों प्रकार के अधिमान्यता कार्ड संचालनालय द्वारा अलग–अलग जारी किये जायेंगे।

7.5 जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता से सम्बन्धित विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य अधिमान्यता समिति का होगा।

08 अधिमान्यता के लिये मापदण्ड :–

8.1 दैनिक समाचार पत्रों के वर्ष में न्यूनतम 350 अंक तथा साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्रिकाओं की दशा में क्रमशः 45 व 22 अंक प्रकाशित होने चाहिये, जिन्हें समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

8.2 प्रकाशन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पदस्थ संवाददाता को समाचार प्रेषित करने के लिये उनके पास समाचार प्रतिष्ठान से समाचार संप्रेषण का अधिकार पत्र होना चाहिये।

8.3 अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकार अन्य निर्धारित मापदण्ड पूरा करने पर जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता के पात्र होंगे।

8.4 विभिन्न श्रेणी के समाचार पत्रों के निर्धारित अधिमान्यता कोटा के लिये कुल पात्र पत्रकारों की संख्या में राजधानी में पदस्थ संवाददाता भी शामिल रहेंगे अर्थात् राजधानी

एवं राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले पत्र को श्रेणी के अनुसार समान संख्या में अधिमान्यता की पात्रता होगी।

8.5 राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों (एकल संस्करण) को पात्रतानुसार राजधानी में एक ही पत्रकार को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी। इनकी प्रसार संख्या राज्य में कम से कम 25000 (पच्चीस हजार) होना चाहिये।

8.6 स्थानांतरण अथवा संवाददाता/सम्पादक बदलने पर आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क इनकी पुरानी अधिमान्यता रद्द कर नई अधिमान्यता दे सकेंगे बशर्ते नये प्रतिष्ठान में अधिमान्यता कोटा रिक्त हो। ऐसे प्रकरण समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जायेंगे।

8.7 न्यूनतम 50 हजार प्रसार संख्या होने पर अधिमान्यता समिति की संतुष्टि पर दैनिक समाचार पत्र के एक स्टाफ फोटोग्राफर को प्रकाशन स्थल पर राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी। राजधानी से बाहर से प्रकाशित एक लाख या उससे अधिक प्रसार संख्या के समाचार पत्रों को राजधानी में एक राज्य स्तरीय अधिमान्य फोटोग्राफर की पात्रता होगी।

8.8 अधिमान्यता जिला मुख्यालय/प्रकाशन स्थल तथा विकासखण्ड मुख्यालय में पदस्थ श्रमजीवी पत्रकारों को दी जा सकेगी।

8.9 जिला अधिमान्यता के लिये पत्रकार की पदस्थापना के जिले में समाचार पत्र की न्यूनतम 1000 प्रतियॉ तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता के लिए विकासखण्ड में न्यूनतम प्रसार संख्या 200 प्रतियॉ और क्षेत्रीय टी.व्ही. चैनल की दशा में विकासखण्ड मुख्यालय स्थित केबल नेटवर्क/डी.टी.एच. में सम्बधित न्यूज चैनल का प्रसारण होना चाहिये।

8.10 प्रसार संख्या के लिए सी.ए./आर0एन0आई0/ए0बी0सी0 के प्रमाण पत्र को आधार माना जायेगा। सम्बन्धित समाचार पत्र की प्रसार संख्या के सम्बन्ध में समिति की संतुष्टि होने पर अधिमान्यता दी जायेगी।

09 निम्न आधार पर अधिमान्यता रद्द की जा सकेगी :–

9.1 सम्बन्धित समाचार मीडिया संस्थान के सम्पादक की अनुशंसा पर।

9.2 मीडिया प्रतिनिधि के निरन्तर 3 माह से अधिक अवधि तक निरन्तर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर। प्रतिष्ठान के सम्पादक से पत्र प्राप्त होने की दशा में आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क अनुपस्थिति की अवधि अधिकतम 6 माह तक बढ़ा सकेंगे।

9.3 पूर्णकालिक या अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकार न रहने पर।

9.4 आपराधिक गतिविधियों में संलग्नता/संदिग्ध आचरण होने पर न्यायालय में आपराधिक/षडयन्त्रकारी प्रकरण का अभियोग पत्र दाखिल होने पर या सजायाफ्ता होने पर।

9.5 पत्रकारिता के कार्य में अव्यवसायिक अथवा असम्मानजनक तरीके से व्यवहार करने पर। इन प्रकरणों में समिति गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेगी।

9.6 समाचार पत्र का प्रकाशन अनियमित होने या बन्द होने पर।

9.7 जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्य पत्रकारों की दशा में सम्बन्धित जिले/विकासखण्ड में निवासरत नहीं होने पर।

9.8 सम्बन्धित पत्रकार अथवा मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा अधिमान्यता हेतु गलत जानकारी देने पर।

9.9 स्थानान्तरण/ प्रतिष्ठान छोड़ने/पत्रकारिता छोड़ने पर अधिमान्यता कार्ड सम्पादक के माध्यम से जनसम्पर्क संचालनालय में वापस नहीं जमा कराये जाने पर सम्बन्धित अधिमान्य पत्रकार को उस वर्ष अधिमान्यता से वंचित किया जायेगा।

10 अधिमान्यता का नवीनीकरण :–

10.1 मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य/जिला स्तरीय अधिमान्यता परिचय पत्र प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी से 31 दिसम्बर अवधि हेतु जारी किया जायेगा।

10.2 माह दिसम्बर में अधिमान्य मीडिया प्रतिनिधियों की अधिमान्यता का नवीनीकरण किया जायेगा जिस हेतु सम्बन्धित मीडिया प्रतिनिधियों को सम्पादक/राज्य ब्यूरो प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

10.3 प्रत्येक वर्ष माह जनवरी के भीतर अधिमान्यता नवीनीकरण नहीं कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित मीडिया प्रतिनिधि को नवीन अधिमान्यता हेतु आवेदन करना होगा।

10.4 स्वतंत्र पत्रकार/फोटोग्राफर की दशा में उन्हें निर्धारत प्रपत्र में आवेदन करने साथ ही गत कैलेण्डर वर्ष में बाईलाईन प्रकाशित/प्रसारित समाचार/फीचर/फोटो टीवी समाचार चैनल में विशेष रिपोर्ट प्रसारण के फुटेज की छायाप्रति एवं प्राप्त मानदेय राशि के साक्ष्य के रूप में बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रकाशित बाइलाईन समाचार/फीचर/फोटो की संख्या एवं वार्षिक आय की राशि वही होगी जो अनुसूची–1(एक) में स्वतंत्र पत्रकार/फोटोग्राफर की पात्रता शर्तो में है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(उमेश कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव

अनुसूची –1

समाचार प्रतिनिधिः–

क्र0	वर्ग	पात्रता की शर्ते
01.	स्वतंत्र पत्रकार	(अ) पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में न्यूनतम 25 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। (ब) न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष। (स) केवल पत्रकारिता कार्यों से प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 50,000/– रूपये की वार्षिक आय। (द) अधिमान्यता आवेदन करने की तिथि से गत एक वर्ष में बहुप्रसारित समाचार पत्र में न्यूनतम 12 (बारह) समाचार/लेख/इलेक्ट्रानिक मीडिया में विशेष रिपोर्ट का प्रसारण/प्रकाशन। (फ) स्वतंत्र फोटोग्राफर/कैमरामैन की दशा में 12 फोटो/फिल्म/विशेष रिपोर्ट जो गत 6 (छः माह) के दौरान विभिन्न बहुप्रसारित समाचार पत्र/टीवी चैनल में प्रकाशित/प्रसारित हुए हों तथा सम्बन्धित समाचार पत्र/टीवी चैनल से प्रकाशन /प्रसारण का प्रमाण पत्र।
02.	दीर्घकालिक तथा विशिष्ट सेवा देने वाले पत्रकार	(अ) न्यूनतम आयु 65 वर्ष। (ब) विधिवत पंजीकृत समाचार मीडिया प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों से कम से कम 30 वर्षों तक पत्रकारिता व्यवसाय से जुड़े हो। (स) न्यूनतम 20 वर्ष तक जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा राज्य/जिला स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हो। (द) जनसम्पर्क विभाग एवं अन्य शासकीय/अर्धशासकीय /निगम/मंडल/ निकाय में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारी जो सेवानिवृत्ति पश्चात् पत्रकारिता से जुड़ें हुए हों। इनके लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष होगी तथा अधिमान्यता प्राप्ति की शर्ते लागू नहीं होगी।
03.	स्वतंत्र पत्रकारों को छोड़कर अन्य वर्गों के पत्रकार/कैमरामैन	<u>विकासखण्ड स्तरीय</u> (1) समाचार पत्र में पत्रकार के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव (2) विकासखण्ड में समाचार पत्र की न्यूनतम प्रसार संख्या 250 प्रतियॉ <u>जिला स्तरीय</u> (1) पूर्णकालिक/अंशकालिक पत्रकार के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव (2) कामकाजी पत्रकार को वेतन बोर्ड की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा पत्रकारों के लिये अधिसूचित न्यूनतम ग्रेड की कुल परिलब्धियों के बराबर कुल वेतन मिल रहा हो। (नवीनतम वेतनमान संशोधन को ध्यान में रखा जायेगा) (3) कैमरामैन/फोटोग्राफर की अधिमान्यता हेतु उनके नियुक्ति पत्र में पदनाम कैमरामैन/प्रेस फोटो ग्राफर का स्पष्ट लेख होना चाहिये तथा संपादक द्वारा कैमरामैन/फोटोग्राफर की अधिमान्यता हेतु विशेष रूप से अनुशंसा की जानी चाहिये। **(स्पष्टीकरणः– समाचार मीडिया कैमरामैन उसे माना जायेगा जो सम्बन्धित मीडिया संस्थान से वेतन भोगी हो)**

		राज्य स्तरीय (1) समाचार प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों में पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। (2) अधिमान्यता चाहने वाले पत्रकार को उस प्रतिष्ठान का पूर्णकालिक कामकाजी पत्रकार होना चाहिये और मानदेय/अंशकालिक/संविदा आधार पर काम करने वाले पत्रकारों को अधिमान्यता के उद्देश्य से कामकाजी पत्रकार नहीं माना जायेगा। **(स्पष्टीकरणः राज्य में समाचार प्रतिष्ठान का एकमात्र प्रतिनिधि होने की दशा में पत्रकारिता के उल्लेखित वर्षो के अनुभव को शिथिल किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य अधिमान्यता समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।)**

(ख) समाचार प्रतिष्ठान (प्रिन्ट मीडिया)

क्र0	वर्ग	शर्ते
01.	समाचार पत्र (दैनिक)	(1) न्यूनतम स्टैण्डर्ड 4 पृष्ठ 8 कालम/1600 स्टैण्डर्ड कालम से0मी0। (2) राज्य में न्यूनतम प्रसार संख्या 10,000 प्रतियॉं। (3) डी.ए.व्ही.पी. की अनुमोदित सूची में शामिल प्रतिदिन एक लाख प्रतियॉं प्रसार संख्या वाले टेबलाइड समाचार पत्र।
02.	समाचार पत्रिकाएं/ मैगजीन (केवल पाक्षिक तक)	(1) प्रत्येक प्रकाशन दिवस पर न्यूनतम 40पृष्ठ का प्रकाशन। (2) न्यूनतम प्रसार संख्या 10,000 प्रतियॉं। (3) पत्रिका में 50 प्रतिशत समसामयिक समाचार/ लेख का समावेश। (4) समाचार पत्र एवं विज्ञापन का प्रारूप 60:40 हो।
03	तार समाचार एजेन्सी	अ) राज्य में पंजीकृत (1) राज्य में न्यूनतम 20 समाचार पत्र सशुल्क ग्राहक होने चाहिये। (2) सकल वार्षिक राजस्व न्यूनतम 10 लाख रूपये होनी चाहिये। (ब) राज्य के बाहर पंजीकृत (1) देशभर में न्यूनतम सशुल्क समाचार पत्र ग्राहक संख्या 50 होनी चाहिये। (2) न्यूनतम वार्षिक राजस्व 50 लाख रूपये।

(ग) समाचार संगठन (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया):–

क्र0	वर्ग	शर्तें
01.	टी0व्ही0 समाचार कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण संगठन (सेटेलाईट समाचार चैनल)	(1) प्रसारण समय (24 घण्टे में) न्यूनतम 3.5 घण्टे प्रतिदिन समाचार और उससे सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये हो। (2) प्रादेशिक न्यूज चैनल की श्रेणी हेतु 15–15 मिनट की न्यूनतम 4 न्यूज बुलेटिन का प्रसारण। (3) प्रादेशिक न्यूज चैनल की दशा में प्रदेश के कम से कम 18 जिलों में दृश्यता। (केबल नेटवर्क के माध्यम से) (4) राष्ट्रीय चैनल की दशा में कम से कम 15 राज्य में दृश्यता तथा प्रदेश के प्रतिमाह न्यूनतम 10 समाचारों का प्रसारण। (5) राष्ट्रीय चैनल की दशा में 3 एवं प्रादेशिक चैनल की दशा में एक सशुल्क डी.टी. एच प्लेटफॉर्म में उपस्थिति।
02.	टेलीविजन समाचार एजेन्सी	(1) समाचार क्लिप्स आदि से न्यूनतम 20 लाख रूपये वार्षिक का राजस्व। (2) कम से कम 5 सेटेलाईट टी0व्ही0/न्यूज प्रसारण संगठन अभिदाताओं को नियमित आधार पर समाचार क्लिप्स की आपूर्ति करते हों। (प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित संस्था से अनुबन्ध पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03.	ऑनलाईन मीडिया	(1) समाचार साइट/पोर्टल का अर्थ ऐसी वेबसाईट है जिसमें प्रकाशित विषयों का कम से कम दो तिहाई भाग समाचारों तथा उनके अपने पत्रकारों द्वारा मौलिक रूप से इकट्ठा की गई सम सामयिक सामग्री हो। (2) इन वेब साइटों के पास सम्पूर्ण वेबसाईट से 10 लाख रूपये (जिसमें समाचार भाग शामिल है) वार्षिक राजस्व हो। (3) इन वेब साइटों को नियमित रूप से कम से कम 2 बार प्रतिदिन अद्यतन किया जाना चाहिये। (4) समाचार वेब साइट कम से कम एक वर्ष से कार्यशील हो। (5) साइट का डोमेन नेम आवेदन तिथि से कम से कम 5 वर्षों के लिये पंजीकृत हो। (6) साइट के समाचार पोर्टल के प्रतिदिन कम से कम 1000 यूनिक विजिटर तथा 3000 पृष्ठ देखे जाते हों। (7) संदेह की स्थिति में साइट की प्रमाणिकता का निर्धारण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) अथवा ऐसी संस्था जिसे अधिमान्यता समिति उपयुक्त समझे के परामर्श से किया जायेगा। (8) यदि अब या भविष्य में कोई वेबसाईट पोर्टल साइबर अपराध की किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उस वेबसाईट/पोर्टल के प्रतिनिधियों को प्रदत्त अधिमान्यता संचालक/आयुक्त, जनसम्पर्क के स्वनिर्णय पर वापस ले ली जायेगी। (9) समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनल्स द्वारा संचालित बेवपोर्टल/समाचार साइट के मीडिया प्रतिनिधि की अधिमान्यता उनके लिये निर्धारित अधिमान्यता कोटे से ही प्रदत्त की जायेगी।

अनुसूची –2

समाचार पत्रों/मीडिया संगठनों की विभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित कोटे की अनुसूची

(1) राज्य में एक स्थान से प्रकाशित समाचार पत्र (एकल संस्करण) :–

क्र0	आकार	प्रसार	राज्य स्तरीय	जिला स्तरीय	विकासखण्ड स्तरीय
01.	न्यूनतम स्टेण्डर्ड 8 पृष्ठ/8 कालम/3200 स्टेण्डर्ड कालम होगी	10,000 से 25,000	2	संभाग के प्रचार के जिलों में एक–एक	प्रसार के विकासखण्ड में एक–एक
02.	न्यूनतम स्टेण्डर्ड 8 पृष्ठ/8 कालम/3200 स्टेण्डर्ड कालम से0मी0	25,000 से 50,000	3	प्रत्येक जिले में एक	प्रसार के विकासखण्ड में एक–एक
03.	न्यूनतम स्टेण्डर्ड 8 पृष्ठ/8 कालम/3200 स्टेण्डर्ड कालम से0मी0	50,000 से अधिक	4	प्रत्येक जिले में एक	प्रसार के विकासखण्ड में एक–एक
04.	न्यूनतम 8 कालम 8 पृष्ठ/3200 स्टैण्डर्ड कालम से0मी0	5,000 से 10,000 तक	1	प्रसार के जिलों में एक	प्रसार के विकासखण्ड में एक–एक

(2) राज्य में दो एवं दो से अधिक स्थानों से प्रकाशित समाचार पत्र समूह (एकल स्वामित्व वाले) :–

क्र0	आकार	समाचार पत्र संस्करणों की सकल प्रसार संख्या	राज्य स्तरीय	जिला स्तरीय	विकासखण्ड स्तरीय
01.	न्यूनतम स्टेण्डर्ड 16 पृष्ठ /8 कालम / 6400 स्टेण्डर्ड कालम होगी	50,000 से 1,00000	4	प्रत्येक जिले में एक	प्रसार के विकासखण्ड में एक–एक
02.	न्यूनतम स्टेण्डर्ड 16 पृष्ठ/ 8 कालम/6400 स्टेण्डर्ड कालम होगी	1 लाख से 2 लाख	8	प्रत्येक जिले में दो	प्रसार के विकासखण्ड में एक–एक
03.	न्यूनतम स्टेण्डर्ड 16 पृष्ठ/ 8 कालम/6400 स्टेण्डर्ड कालम होगी	2 लाख से ऊपर	10	तदैव	प्रसार के विकासखण्ड में एक–एक

(स्पष्टीकरणः समाचार पत्र को एक से अधिक स्थान से प्रकाशन तभी मान्य होगा जब मुद्रण भी प्रकाशन स्थल से हो। इस आशय का प्रमाण पत्र अधिमान्यता आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।)

(3) समाचार पत्रिकाएं एवं उनका प्रसार (केवल साप्ताहिक एवं पाक्षिक)

1	50,000 से 75,000 प्रसार संख्या	2 राज्य स्तरीय
2	75,000 से 1 लाख प्रसार संख्या	3 राज्य स्तरीय
3	1 लाख से अधिक प्रसार संख्या	4 राज्य स्तरीय
4	एकल स्वामित्व वाली श्रृंखलाओं से संबंधित समाचार पत्रिकाएं/बहुभाषी संस्करण तथा जिनका संयुक्त प्रसार 1 लाख एवं उससे अधिक है।	4 राज्य स्तरीय

(4) प्रेस फोटोग्राफर

01.	50,000 से 1 लाख प्रसार संख्या	प्रकाशन स्थल पर एक राज्य स्तरीय
02.	1 लाख से 2 लाख प्रसार संख्या	प्रकाशन स्थल एवं राजधानी में एक–एक राज्य स्तरीय
03.	2 लाख से 3 लाख प्रसार संख्या	प्रकाशन स्थल एवं राजधानी में एक राज्य स्तरीय एवं एक जिला स्तरीय

(5) राज्य के बाहर से प्रकाशित समाचार पत्र

01.	न्यूनतम प्रमाणित प्रसार संख्या 50 हजार से 1 लाख तथा राज्य में न्यूनतम प्रसार संख्या 5000 प्रति/प्रतिदिन।	संभागीय मुख्यालय में पदस्थ स्टाफर/अंशकालिक संवाददाता को एक जिला स्तरीय अधिमान्यता (राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा)
02.	प्रमाणित प्रसार संख्या 1 लाख एवं उससे अधिक एवं राज्य में न्यूनतम प्रसार संख्या 5000 प्रतियां प्रतिदिन	राजधानी में निवासरत पूर्णकालिक स्टाफर/ फोटोग्राफर को एक–एक राज्य स्तरीय अधिमान्यता

(6) समाचार/ फीचर एजेन्सी (प्रिन्ट मीडिया)

क्र0	समाचार एजेन्सी का प्रकार	राज्य स्तरीय	जिला स्तरीय
01.	राज्य के भीतर पंजीकृत (अ) सकल वार्षिक राजस्व 10–15 लाख एवं न्यूनतम 05 सशुल्क ग्राहक समाचार पत्र (ब) सकल वार्षिक राजस्व 15 लाख से 1 करोड़ रूपये एवं देशभर में 50 सशुल्क ग्राहक समाचार पत्र	2 राज्य स्तरीय 3 राज्य स्तरीय	जिला मुख्यालय में नियमित स्टाफर को एक जिला स्तरीय अधिमान्यता। जिला मुख्यालय में नियमित स्टाफर को एक जिला स्तरीय।
02.	(अ) राज्य के बाहर पंजीकृत (जो	हिन्दी –4 राज्यस्तरीय	जिला मुख्यालय में नियमित

	एक से अधिक भाषा में सेवायें प्रदान करते हों) (ब) राज्य में पंजीकृत किन्तु ग्राहक नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण वाले जिले में अधिकतम एक जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी	अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाएं–4 राज्यस्तरीय	स्टाफर को एक जिला स्तरीय
03.	न्यूज फीचर एजेन्सी (अ) सकल राजस्व 2.5 लाख से 5 लाख एवं सशुल्क न्यूनतम ग्राहक संख्या 5 (ब) सकल राजस्व 5 लाख एवं उससे अधिक	1 राज्य स्तरीय 2 राज्य स्तरीय	–––

अनुसूची –3

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया :–

01.	सैटेलाइट न्यूज चैनल	निर्माण एवं प्रसारण	अधिमान्यता	जिला स्तरीय अधिमान्यता	विकासखण्ड स्तरीय अधिमान्यता
(अ)	राष्ट्रीय न्यूज चैनल	–––	इलेक्ट्रानिकः ऐसे टीवी न्यूज चैनल जिसमें राज्य की गतिविधियों संबंधी समाचार प्रसारित होते हों उनको समाचार कवरेज में सहयोग की दृष्टि से एक–एक स्टाफर एवं कैमरामैन को राज्य स्तरीय अधिमान्यता	–––	–––
(ब)	प्रादेशिक न्यूज चैनल	(अ) स्थानीय कार्यक्रम / समाचार निर्माण एवं प्रसारण (सेटअप राज्य में) (ब) राज्य के बाहर कार्यक्रम / समाचार निर्माण एवं प्रसारण (सेटअप राज्य के बाहर)	6+6 कैमरामैन एवं रिपोर्टर को राज्य स्तरीय अधिमान्यता 4 - 4 कैमरामैन एवं रिपोर्टर को राज्य स्तरीय	जिलों में कार्यरत एक पूर्ण कालिक/ अंशकालिक रिपोर्टर एवं कैमरामैन को जिला स्तरीय जिलों में कार्यरत एक पूर्णकालिक/ अंशकालिक रिपोर्टर को जिला स्तरीय	प्रत्येक विकासखण्ड में एक–एक ––''––

02.	टेलीविजन समाचार एजेन्सी	———	2—2 कैमरामैन एवं रिर्पोटर को राजधानी में राज्यस्तरीय अधिमान्यता	———	———
03.	आनलाइन मीडिया	———	समाचार वेबसाइट के सम्पादक को एक राज्य स्तरीय अधिमान्यता	———	———

शासकीय मीडियाः—

आकाशवाणी	(1) आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के समाचार प्रभाग में समाचार संकलन तथा सम्पादन का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारी/संवाददाता को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी—अधिकतम संख्या दो। (2) आकाशवाणी के राज्य के भीतर अन्य प्रसारक केन्द्रों के नियमित समाचार संवाददाताओं को नियुक्ति के जिले में अधिकतम एक जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी।
दूरदर्शन	(1) दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में कार्यरत राज्य की राजधानी में समाचार संकलन/सम्पादन का दायित्व निभाने वाले अधिकारियों/नियमित संवाददाताओं/कैमरामैन को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी—अधिकतम 2 संवाददाता एवं 2 कैमरामैन।